तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	चमुके हेमन्त सिंह vs भगवान सिंह मु० नं 97/20 दावा	
18/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० प्रा०पत्र 07 R 11 CPC के निर्णय हेतु तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की ओर से यह दावा विरुद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी अपने अभिभाषक के माध्यम न्यायालय में हाजिर आया तथा उसकी ओर से जवाब दावा पेश न करके यह प्रा०पत्र 07 R 11 CPC इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि यह दावा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत है। धारा 188 RTA का दावा केवल एक केवल खातेदार काश्तकार ही ला सकता है यह आवश्यक (mandatory) प्रावधान है। विवादित आराजी जो मु. सड़क PWD तक रवाडेडा की खातेदारी की है। कि वादी ने स्वयं काबिज अदाकर होना स्वीकार किया है। तहसीलदार रवालेडा के उक्त आराजी के सीमा ज्ञान के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मौका कायमिल रिपोर्ट दिनांक 5-6-20 के अनुसार इस आराजी पर वादी हेमन्त का खातेदारी स्वामित्व नहीं होना तथा कब्जा काश्त नहीं होना पाये जाने के कारण सीमा ज्ञान नहीं किया है। इस प्रकार वादी विवादित आराजी का Tenant नहीं है और न ही मौके पर कब्जा काश्त स्वामित्व है अतः कानूनी स्थिति से वाद वादी Barred By Law होने के कारण पोषणीय नहीं है काबिल खारिज है इसलिए खारिज किया जावे। वादी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रा०पत्र में यह कथन किया है कि विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार वादी जाति स्व. श्री वरदीलाल व तेजासिंह, रायसिंह रहे। जिन्होंने अपने जीवन काल में उक्त खन में से 17 बिस्वा जमीन का विक्रय कर दिया और बाकी रहे शेष 5 बिस्वा आराजी पर काबिज काश्त रहे। वादी की आराजी ख.नं 6355/3165 रकबा 05 बिस्वा पर वादी की बैक पर बिना सूचना के PWD व राजस्व आदि अधिकारियों से साठ गांठ कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार प्रतिवादी ने कर लिया। अब उसकी आड़ में प्रतिवादी जबरन वादी को बेदखल कर उस पर कब्जा करने पर उतारू एवं आमादा है। इससे वादी के खातेदारी अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार नहीं है। मौके पर कोई अवार्ड की कार्यवाही नहीं हुई है। दावा किसी विधि के बाहर नहीं है। धारा 07 R 11 CPC की परिधि में नहीं आता है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस सुनी गई अभिभाषक उभय पक्ष	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... पुर (राज.)

सुनी गयी। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों एवं कथनों को दोहराया तथा कथन किया कि स्थायी निषेधाज्ञा का दावा केवल एक खातेदार काश्तकार ही पेश कर सकता है। इस वाद में वादी खातेदार काश्तकार नहीं है इसलिए वह यह दावा पेश करने का विधिक अधिकारी नहीं है दावा विधि से वर्जित है एवं खारिज योग्य है इसलिए खारिज किया जावे। बहस वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया तथा विवादित आराजी पर वादी का कब्जा होना बताया एवं दावा को विधि से वर्जित होने पर दावा खारिज नहीं करने तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने बाबत निवेदन किया।

प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में RBJ (26) 2019 पृष्ठ 45 की कानूनी नजीर पेश की। वादी की ओर से कोई कानूनी नजीर पेश नहीं की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्तागण का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नकल जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी ख.नं. 355/365 रकबा 0.5 बिस्वा वर्तमान में गै.मु. सड़क PWD वगैरह राजाखेड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे यह साबित होता है कि वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है। विधि के तहत एक खातेदार काश्तकार ही स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का दावा प्रस्तुत कर सकता है। यह दावा भी स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का है इसलिए विधि से वर्जित है वादी को यदि स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का दावा करना था तो उसे पहले स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराना चाहिये। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर RBJ (26) 2019 इस प्रकरण पर पूरी तरह चस्पा होती है। जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि "जो व्यक्ति स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहता है वह भूमि का टेनेन्ट होना चाहिये, लम्बे कब्जे के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा कानूनन वर्जित है" इस प्रकार यह दावा विधि से वर्जित है एवं चलने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र O7 R11 CPC स्वीकार किया जाकर मूल दावा को विधि से वर्जित होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा धौलपुर (राज.)